

तारीख
हुकम

6/5/26

पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर हैं।
पत्रावली दि. 11/5/26 को वास्ते अधि... पेश हो।

पत्र/जवाब (4), डा. मु. (1, 2, 3)

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

11/5/2026

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा
विपक्षी (2, 3) के नाम विलोपित करने
हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार
किया गया। विपक्षी (2, 3) को विलोपित
किया गया। विपक्षी (4) के अधिवक्ता
द्वारा NO Instruction किया गया।
विपक्षी (5) को 3-बार आवाज लगाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
विपक्षी (5) के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश
पारित किए गए। पत्रावली में आदेश
पारित किए गए। आदेश मालनार्थ
तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।
पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 59/2026

तारीख दाखर - 1/4/2026

1. छीतर पिता रोडा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. मनफूल पत्नि काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. महावीर पिता काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. सुगना पुत्री काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
5. सीता पुत्री रोडा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. प्रभुलाल पिता नामालुम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटीया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. रूपा पिता देवीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जगन्नाथ जी का झोपडा मकरेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :—

दिनांक - 11/5/2026

प्रार्थना पत्र अर्जुन, कपिल, लीला ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम सतकुडिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 31 पर अंकित आराजी संख्या 59 रकबा 0.7365 हे0 व आराजी संख्या 60 रकबा 0.7203 है0भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगडी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।



.....निरन्तर पेज संख्या 2 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 2

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम सतकुडिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 31 पर अंकित आराजी संख्या 59 रकबा 0.7365 हे0 व आराजी संख्या 60 रकबा 0.7203 है0भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 59 / 2026

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर - 1/4/26

तारीख निर्णय - 11/5/26

विषय :- प्रकरण संख्या 59 / 26 पत्थरगढी बाबत।

1. छीतर पिता रोडा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. मनफुल पत्नि काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. महावीर पिता काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. सुगना पुत्री काना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
5. सीता पुत्री रोडा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी भैरूपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. प्रभुलाल पिता नामालुम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटीया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. रूपा पिता देवीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जगन्नाथ जी का झोपडा मकरेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम सतकुडिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 31 पर अंकित आराजी संख्या 59 रकबा 0.7365 हे0 व आराजी संख्या 60 रकबा 0.7203 है0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से

प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ